

हिन्दा साध्य दानक प्रखर पुर्वाचल

RNI:UPHIN/2016/68754

www.prakharpurvanchal.com

अखबार नहीं आंदोलन

Email ID: prakhar.purvanchal@gmail.com

गाजीपुर से प्रकाशित व वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मऊ, बिलिया, आजम
वर्ष: 7, अंक: 324, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00, आमंत्रण मूल्य 2.00

18 मई, 2023 दिन गुरुवार

गाजीपुर/वाराणसी

बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा से बिहार में महाभारतः नीतीश-लालू ने किया विरोध

जदयू-राजद का आरोप : बाबा और साधुओं के नाम पर बिहार में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की हो रही कोशिश

पटना। पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के आचार्य बाबा बागेश्वर के दरबार का आज अंतिम दिन है। धीरेंद्र सास्त्री के 13 से 17 मई की हनुमंत कथा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी धीड़ देखने को मिली। हालांकि, बिहार में बाबा के दरबार को लेकर पटना से दिल्ली तक खबर राजनीति भी हुई। पांच



दिनों के कायर्क्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सहित भाजपा के कई बड़े नेता धीरेंद्र शास्त्री के सामने माथा टेकते नजर आए। वहाँ, बिहार में महागठबंधन ने इसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का एजेंडा बताया है। जटयू और राजद का आरोप है कि बाबा और साधुओं के नाम पर भाजपा बिहार में साप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित कई नेताओं ने धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया।

फोलोइंग को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो तेज प्रताप ने कहा कि कौन बाबा है। असली बाबा देवराहा बाबा थे, जो 400 साल जिंदा रहे। उन्हीं को हम मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। तेज प्रताप ने कहा कि बाबा बिहारियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। बिहार में कृष्ण राज्य है। यहां महागठबंधन का राज है। ये

नीतीश ने दी बाबा बागेश्वर

— 6 —

**डाली का जगह उठ गई पिंता, बहन व भाई का
अर्थी, दर्दनाक सड़क हादसे में तीन की मौत**

प्रखर वाराणसी। रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का कोदोपुर बृंधन लान के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता के साथ जवान बेटे और बेटी की जान चली गई। दर्दनाक हादसे में परिवार में होने वाली शादी का खुशी का माहौल मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि परिवार में एक बड़ी बेटी के 4 दिन बाद बारात आनी थी। मिली जानकारी के अनुसार डुमरी निवासी अविनाश प्रसाद 65 वर्ष मंगलवार देर रात बेटी ज्योति 28 और बेटा रणदीप 20 वर्ष के साथ बी-एच्यू से डायलीसिस कराकर बुधवार की भोर में 3 बजे लौटने के बाद दोरान तीनों बाइक पर सवार होकर डिमरी डोंगरी स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे, इसी बीच पुल पार करने के बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी टक्कर लगते ही तीनों गिर गए। ट्रैक्टर तीनों को रौदरते हुए भाग निकला। पिता व बेटी ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रणदीप को आसपास के लोगों ने



माहौल था, एक साथ तीन लोगों की मौत के बाद माहौल गम में बदल गया है। रो-रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। अविनाश प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया करते थे। पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गंभीर अशांति का सामना कर पड़ा। सात यात्रियों ने मामूली की सूचना दी है। केबिन ट्रेन घायलों को प्राथमिक उपचार की दीजीसीए ने बताया कि केबिन यात्रियों में एक डॉक्टर और नर्स मौजूद थी। उनकी मदद से घ

मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, हत्या के प्रयास की साजिश में पूर्व विधायक दोषमुक्त

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट तुर्णेश की अदालत ने मुहम्मदबाद क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास की साजिश में आरोपित मुख्तार अंसारी दोषमुक्त कर दिया है। वर्ष 2009 में मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी



ताजगाहनका नामता हुई
उनपर धारा 120बी
का केस दर्ज किया था। तब
अंसारी जेल में बंद था। हालांकि
इस मामले में मुख्य आरोपित सोनू
यादव कोर्ट से बरी हो गया था,
जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ
एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा
था। इस मामले में बीते छह मई को
मुख्तार की ओर से मौखिक बहस
की गई। जिसके बाद अदालत ने

दो मामले में मुख्तार अंसारी को
दस-दस साल की सजा सुना चुकी
है। गैंगस्टर में पहली सजा बनारस
के अवधेशशराय हत्या कांड और
दूसरी सजा बनारस के ही कोयला
व्यवसायी व हिंदूवादी नेता
नंदकिशोर रुंगटा अपहरण व हत्या
कांड के गैंगस्टर में दस साल की
सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने डीके को दी राहत तो सीबीआई को लगा झटका, सनवाई 14 जलाई तक स्थगित

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (कैपीसीसी) के अध्यक्ष डॉके शिवकुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पर अंतरिम रोक से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिवकुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अधिषेक सिंधवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामले में 23 मई को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बाद में अलग-अलग तारीखों पर रोक को और बढ़ा दिया गया। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से

मंजूरी मार्गी थी। मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को
मिली और तीन अक्टूबर, 2020 को
शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक
अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। असम में पार्टी की एक नेता ने श्रीनिवास प्रभासिक यातना देने का आरोप लगाया था। जिसे अब कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है। असम युवा कांग्रेस की निष्कासित अध्यक्ष अंगीकाता दता द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में श्रीनिवास ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी बताया रखा है। उच्च न्यायालय ने आदेश को चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने असम सरकार और अन्य विधायिकाओं को जावाब दाखिल करने को कहा। पीठ कहा कि हमने (सीआरपीसी की धारा) 16 के तहत दिया गया बयान पढ़ा है जिसके अधियोजन पक्ष ने बड़ी शालीनता से हमसे समक्ष रखा है। हम इस स्तर पर राज्य ने खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते। प्राथमिकी द्वारा होने में एक महीने की देरी पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण का अधिकार दिया गया है। शीर्ष अदालत ने श्रीनिवास को जांच सहयोग करने और 22 मई को पुलिस के समान उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

अयोध्या बाबरी विवाद में मुरिलम पक्ष के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन



नई दिल्ली। अयोध्या बाबरी विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे जफरयाब जिलानी का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। जफरयाब जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और यूपी के अपर महाधिवक्ता के पद पर भी रह चुके हैं। जफरयाब जिलानी लंबे समय के बीमार चल रहे थे। मई 2021 में सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें उसी दिन रात आठ बजे मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें तत्काल आइसीयू में रखकर उपचार शुरू किया गया था। न्यूरो विभाग के डाक्टरों के अनुसार प्रारंभिक जांच व सीटी स्कैन में पता चला कि उनके ब्रेन के अगले हिस्से में खून का थक्का जमा हुआ था, जिसकी सफल सर्जी करके उसे हटाया गया। हालांकि उसके बाद कुछ समय के लिए वह स्वस्थ थे।

